A-PDF Image To PDF Demo. Purchase from www.A-PDF.com to remove the watermark

[illegible] अधिकारी) उनियारा

प्रकरण सं- 34/2019/प्रार्थना पत्र   दायरा तारीख. 18.3.2019

उनवान

फैलीलाल उर्फ फैलूराम पुत्र भागुता जाति मीना नि० सुरेली तह० उनियारा
(प्रार्थी)

बनाम

1. दिनेश पुत्र जगदीश जाति मीना निवासी सुरेली तह० उनियारा
2. मनचेता पत्नी धर्मराज पुत्री जगदीश जाति मीना ·
3. तहसीलदार उनियारा

(अप्रार्थीगण)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा-212 आर.टी. एक्ट

उपस्थित – विद्वान अधिवक्ता - श्री बरकत उल्ला खान (प्रार्थी)
विद्वान अधिवक्ता - श्री प्रेमचन्द जैन (अप्रार्थीगण)

निर्णय

दिनांक ....

संक्षेप में प्रार्थना पत्र के तथ्य इस प्रकार है कि ग्राम सुरेली तहसील उनियारा में प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी ख. नं. 1816 रकबा 1.51 हैक्ट. स्थित है जिसके साबिक ख० नं० 1000 से हाल ख. नं. 1816 तथा नवीन ख. नं. 1668 बनाये गये है।

उक्त आराजी राजस्व रिकॉर्ड में तत्कालीन खातेदार वीरबहादुरसिंह के नाम दर्ज थी जिसे अप्रार्थी सं. 1 व 2 के पिता जगदीश ने जरिये रजिस्टर्ड बयनामा अपने नाम करवा ली। प्रार्थी का कब्जा 27-05-77 से पूर्व से ही चला आ रहा है जिससे प्रार्थी उक्त आराजी पर खातेदार काश्त घोषित करवाने का हकदार है। प्रार्थी अपने 1/3 हिस्से पर कब्जे काश्त है।

अप्रार्थीगण ने 13.03.19 से 8 दिन पूर्व प्रार्थी के कब्जे की भूमि को अपने नाम होने के कारण रहन, बैचान, फसल नष्ट करने पर आमादा हो गये। [signature]

अतः प्रार्थना-पत्र विरुद्ध अप्रार्थीगण प्रस्तुत कर निवेदन है कि अस्थायी निषेधाज्ञा से अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे।

प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण जरिये सम्मन तलब किये गये। अप्रार्थीगण की ओर से वकील श्री प्रेमचन्द जैन वकालतनामा मय जवाब पेश किया। जिसकी प्रति वकील प्रार्थी को दिलवायी जाकर पत्रावली वास्ते बहस रखी गयी।

दिनांक 17.2.2020 को बहस विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् सुनी गयी। पत्रावली वास्ते आदेश 25-2-20 तारीख मुकर्रर की गयी।

हमने पत्रावली का आद्योपान्त अवलोकन कर संलग्न दस्तावेजों का गहन अध्ययन किया तथा मनन विद्वान अधिवक्ता उभय पक्षकारान् की बहस पर किया।

बहस के दौरान विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि वीर-बहादुर से जरिये रजिस्ट्री क्रय की गयी जमीन निरस्तनीय है। प्रार्थी 27-5-77 से ही पारिवारिक बंटवारे अनुसार अपने हिस्से पर काबिज काश्त है। अतः प्रार्थी के पक्ष प्रथम दृष्टया मामला साबित होने से सुविधा सन्तुलन तथा अपूरणीय क्षति भी प्रार्थी के पक्ष में प्रमाणित है। निवेदन है कि अप्रार्थीगण को ताफैसला मूलवाद अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे।

दौराने बहस विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थीगण ने भी जवाब प्रार्थना-पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुये निवेदन किया कि प्रश्नगत भूमि अप्रार्थीगण के पिता ने जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र वीर बहादुर से क्रय कर कब्जा प्राप्त कर लिया जिसका अंकन राजस्व रिकॉर्ड

में भी है। तभी से खातेदार होकर काबिज काश्त है। यदि प्रार्थीगण को ऐतराज था तो नामान्तरण की अपील क्यों नहीं की तथा पंजीयन गलत तरीके से करवाया गया तो निरस्त करवाने हेतु सक्षम न्यायालय में चुनौती क्यों नहीं दी। खातेदार काश्तकार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों सिद्धान्त प्रथम दृष्टया मामला, सुविधा संतुलन व अपूरणीय क्षति प्रार्थी के पक्ष में न होकर अप्रार्थीगण के पक्ष में प्रमाणित है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किया जावे।

प्रश्नगत आराजी अप्रार्थीगण की खातेदारी में है जो जरिये पंजीकृत बयनामा से कब्जे-काश्त भी प्रमाणित है। यदि पंजीकृत बयनामा गलत तरीके से सम्पादित करवाया गया है तो सक्षम न्यायालय में चुनौती दी जाकर अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना-पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा की शर्तों का अवलम्बन नहीं करने से अस्वीकार किया जाकर खारिज किया जाता है।

पत्रावली फैसल शुमार हो नम्बर से कम की जाकर मूलवाद के साथ नत्थी हो। निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
उनियारा, जिला टोंक